न्यायालय : सत्र न्यायाधीश कैम्प कोर्ट, पश्चिम चम्पारण, बगहा।
आपराधिक विविध वाद संख्या–10/2026
मो0 सोहराब हवारी बनाम बिहार सरकार

25.02.2026

18.03.2026

1. अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है, जो आज की तिथि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. वाद पुकार कराया गया। वाद के पुकार पर आवेदक मो0 सोहराब हवारी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत आपराधिक विविध वाद को प्रचालित किया गया एवं मुख्य रूप से कथन किया गया कि नौरंगिया थाना काण्ड संख्या– 09/2021 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या– 491/2021 वर्तमान में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बगहा के न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु लम्बित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नौरंगिया थाना काण्ड संख्या–09/2021 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या– 491/2021 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा की जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख तथा विद्वान विचारण न्यायालय का प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2026 का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, बगहा ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2026 में कथन किया है कि आवेदक की ओर से दाखिल आपराधिक विविध वाद से संबंधित मूल अभिलेख वर्तमान में 319 द0प्र0स0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु लम्बित है। सत्र वाद संख्या– 419/2021 में कुल 10 अभियुक्तों का विचारण किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से सूचिका कुमुद वर्मा सहित कुल 30 अभियोजन साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। **विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2026 में यह भी अंकित किया है कि यदि सत्र वाद संख्या– 419/2021 का स्थानान्तरण किसी अन्य न्यायालय में श्रीमान् के द्वारा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

4. तदनुसार आवेदक मो0 सोहराब हवारी की ओर से दाखिल प्रस्तुत आपराधिक विविध वाद को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा नौरंगिया थाना काण्ड संख्या– 09/2021 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या– 491/2021 के अभिलेख को जो वर्तमान में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बगहा के न्यायालय में लम्बित है को विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बगहा के न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

5. कार्यालय प्रस्तुत आदेशफलक की एक–एक प्रति दोनों ही विद्वान विचारण न्यायालय को प्राप्त करावें तथा प्रस्तुत आपराधिक विविध वाद को नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अभिलेखागार व्यवहार न्यायालय, बगहा में जमा करें।

(लेखापित)

Anamika
18/03/2026

(अनामिका टी.)
सत्र न्यायाधीश
कैम्प कोर्ट, बगहा।

Scanned with CamScanner